भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †2103
दिनांक 12.03.2025 को उत्तर देने के लिए

एमएसएस का सुदृढ़ीकरण

†2103. श्री कीर्ति आज़ाद:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) द्वारा सामने आए मामलों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) इनमें से राज्य-वार कुल कितने मामलों को अवैध खनन स्थलों के रूप में सत्यापित किया गया है;
(ग) अवैध खनन के सत्यापित मामलों की राज्य-वार और वर्ष वार संख्या कितनी है जिनके संबंध में कार्रवाई की गई है;
(घ) उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है और इसे लागू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और
(ङ) खनन प्रभावित समुदायों में खनन निगरानी और कल्याण को बढ़ाने के लिए एमएसएस को सुदृढ़ करने और डीएमएफ के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): राज्य-वार वर्ष-वार सृजित एमएसएस ट्रिगर्स, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा क्षेत्र सत्यापन और पहचाने गए अनधिकृत खनन मामलों का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(घ): एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 के माध्यम से शुरू की गई धारा 9ख में प्रावधान है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित किसी भी जिले

में गैर-लाभकारी निकाय के रूप में एक न्यास स्थापित करेगी जिसे जिला खनिज फाउंडेशन कहा जाएगा। राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, देश के 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 23 में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) स्थापित किए गए हैं। शेष 13 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें कोई महत्वपूर्ण खनन कार्यकलाप नहीं हुआ है, ने डीएमएफ की स्थापना नहीं की है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

(ङ) एमएसएस को सुदृढ़ करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा:-

1. मौजूदा डेटा लेयर को समय-समय पर अपडेट किया जाता है।
2. पहले जिन ट्रिगर्स को वर्ष में एक बार सृजित किया जाता था, उन्हें वर्ष 2021-22 से वर्ष में दो बार सृजित किया जा रहा है।
3. सिस्टम के डेटाबेस को सुदृढ़ करने सहित एमएसएस का प्रौद्योगिकीय उन्नयन शुरू किया गया है।

खान मंत्रालय ने जनवरी 2024 में संशोधित पीएमकेकेकेवाई दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें डीएमएफ प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने और खनन प्रभावित समुदायों के कल्याण संबंधी प्रावधान शामिल हैं। इनमें जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के स्तर पर तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा डीएमएफ खातों की अनिवार्य लेखापरीक्षा, डीएमएफ के कार्य-निष्पादन और पारदर्शिता मानदंडों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी), डीएमएफ की लेखापरीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा, इन दिशा-निर्देशों में डीएमएफ द्वारा अनुपालन न करने की स्थिति में कार्यों की मंजूरी या निष्पादन कार्यों पर रोक लगाने और/या निधियां जारी करने पर रोक लगाने के प्रावधान के साथ अनुपालन तंत्र शुरु किया गया।

*****

<u>अनुलग्नक-I</u>

सृजित ट्रिगर्स और उन पर की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा

चरण-I -2016-17 (प्रमुख)

राज्य	कुल ट्रिगर	सत्यापन	लंबित	पूर्णता (%)	अनधिकृत खनन मामले
आंध्र प्रदेश	29	29	0	100%	4
छत्तीसगढ़	6	6	0	100%	1
गोवा	42	42	0	100%	12
गुजरात	32	32	0	100%	12
हिमाचल प्रदेश	11	11	0	100%	0
झारखंड	1	1	0	100%	0
कर्नाटक	35	35	0	100%	1
मध्य प्रदेश	46	46	0	100%	5
महाराष्ट्र	8	7	1	87%	1
मेघालय	8	1	7	12%	0
ओडिशा	20	20	0	100%	0
राजस्थान	23	22	1	95%	1
तमिलनाडु	29	29	0	100%	10
तेलंगाना	6	6	0	100%	0
कुल	**296**	**287**	**9**	**96.96%**	**47**

चरण -II-2018-19 (प्रमुख)

राज्य	कुल ट्रिगर	सत्यापन	लंबित	पूर्णता (%)	अनधिकृत खनन मामले
आंध्र प्रदेश	8	8	0	100%	1
छत्तीसगढ़	4	3	1	75%	
गुजरात	7	7	0	100%	2
हिमाचल प्रदेश	2		2		

जम्मू और कश्मीर	2	2	0	100%	
झारखंड	1		1		
कर्नाटक	4	4	0	100%	
मध्य प्रदेश	4	4	0	100%	
महाराष्ट्र	3	3	0	100%	1
ओडिशा	2	2	0	100%	
राजस्थान	8	8	0	100%	
तमिलनाडु	7	4	3	57%	1
कुल	**52**	**45**	**7**	**86.54%**	**5**

चरण **-II-2018-19 (**गौण**)**

राज्य	कुल ट्रिगर	सत्यापन	लंबित	पूर्णता **(%)**	अनधिकृत खनन मामले
आंध्र प्रदेश	8	8	0	100%	
छत्तीसगढ़	4		4		
गोवा	3	3	0	100%	
गुजरात	27	27	0	100%	4
हरियाणा	4	2	2	50%	
झारखंड	11	4	7	36%	
कर्नाटक	12	12	0	100%	
केरल	5	3	2	60%	3
महाराष्ट्र	2		2		
राजस्थान	37	35	2	94%	1
तमिलनाडु	10	7	3	70%	1
तेलंगाना	3	3	0	100%	
उत्तर प्रदेश	4		4		
कुल	**130**	104	26	80.00%	9

चरण-**III-2021-22 (**प्रमुख**)**

राज्य	कुल ट्रिगर	सत्यापन	लंबित	पूर्णता **(%)**	अनधिकृत खनन मामले
आंध्र प्रदेश	28	23	5	82%	4
छत्तीसगढ़	23	0	23	0%	
गोवा	3	3	0	100%	1
गुजरात	34	32	2	94%	4
जम्मू और कश्मीर	4	0	4	0%	
झारखंड	5	0	5	0%	
कर्नाटक	4	4	0	100%	
मध्य प्रदेश	27	16	11	59%	1
महाराष्ट्र	3	3	0	100%	1
मेघालय	10	0	10	0%	
ओडिशा	7	3	4	42%	
राजस्थान	14	9	5	64%	1
तमिलनाडु	13	4	9	30%	
तेलंगाना	1	1	0	100%	
उत्तर प्रदेश	1	0	1	0%	
कुल	**177**	**98**	**79**	**55.37%**	**12**

चरण **-IV-2022-23 (**प्रमुख**)**

राज्य	कुल ट्रिगर	सत्यापन	लंबित	पूर्णता **(%)**	अनधिकृत खनन मामले
आंध्र प्रदेश	9	2	7	22%	
बिहार	1	0	1	0%	
छत्तीसगढ़	8	0	8	0%	
गोवा	15	9	6	60%	6
गुजरात	15	4	11	26%	1
झारखंड	17	0	17	0%	
कर्नाटक	13	6	7	46%	
मध्य प्रदेश	16	16	0	100%	

महाराष्ट्र	12	2	10	16%	
मेघालय	4	0	4	0%	
ओडिशा	4	1	3	25%	
राजस्थान	11	0	11	0%	
तमिलनाडु	13	0	13	0%	
कुल	**138**	**40**	**98**	**28.99%**	**7**

चरण **-V-2023-24**

(प्रमुख)

राज्य	कुल ट्रिगर	सत्यापन	लंबित	पूर्णता **(%)**	अनधिकृत खनन मामले
आंध्र प्रदेश	8	6	2	75%	
असम	2	0	2	0%	
बिहार	1	0	1	0%	
छत्तीसगढ़	30	0	30	0%	
गोवा	10	0	10	0%	
उत्तर प्रदेश	2	0	2	0%	
गुजरात	14	0	14	0%	
हिमाचल प्रदेश	3	0	3	0%	
जम्मू और कश्मीर	7	7	0	100%	
झारखंड	7	0	7	0%	
कर्नाटक	5	0	5	0%	
मध्य प्रदेश	23	0	23	0%	
महाराष्ट्र	7	0	7	0%	
मेघालय	22	0	22	0%	
ओडिशा	2	0	2	0%	
राजस्थान	2	0	2	0%	
तमिलनाडु	7	0	7	0%	
तेलंगाना	5	4	1	80%	
कुल योग	157	17	140		

वर्ष **2024-25** के चरण-**VI (**भाग **I) (**प्रमुख) के दौरान सृजित ट्रिगर्स की सूची (हाल ही में सृजित ट्रिगर्स):

क्र. सं.	राज्य	कुल ट्रिगर्स
1	आंध्र प्रदेश	8
2	छत्तीसगढ़	6
3	गोवा	1
4	गुजरात	6
5	हिमाचल प्रदेश	5
6	जम्मू और कश्मीर	2
7	झारखंड	3
8	कर्नाटक	3
9	मध्य प्रदेश	8
10	महाराष्ट्र	2
11	मेघालय	5
12	ओडिशा	1
13	राजस्थान	5
14	तमिलनाडु	6
15	तेलंगाना	1
16	उत्तर प्रदेश	1
	कुल	**63**